अफस्पा की समाप्ति

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) & III (आतंरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

द हिन्दू

02 मई, 2022

अफस्पा (AFSPA) को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यह सशस्त्र बलों को दण्ड से मुक्ति प्रदान करता है।

यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहला प्रामाणिक संकेत दिया है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) का संचालन पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समाप्त हो सकता है, यदि स्थिति सामान्य करने के लिए जारी प्रयास अच्छे परिणाम देते है तो। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में अफस्पा क्षेत्र की कमी एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी कि उस दिशा में न केवल असम में बल्कि नागालैंड और मणिपुर में भी काफी काम किया जा रहा है, भले ही प्रधानमंत्री का उद्देश्य उनके शासन के तहत इस क्षेत्र में हासिल की गई प्रगति के स्तर को प्रदर्शित करना हो, लेकिन इससे नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी। आपको बता दें कि अफस्पा 1990 से लागू है और यह कदम असम के भविष्य में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। यह राज्य में कानून और व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार का प्रमाण है।

अफस्पा (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर कम किया गया है, जिसका मुख्य कारण सुरक्षा स्थिति में सुधार है। करीब एक महीने पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर में ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों को काफी कम कर दिया था। असम में काफी कमी आई थी, जहाँ 23 जिलों में और आंशिक रूप से 1 में अफस्पा को पूरी तरह से हटा दिया गया था। नागालैंड में, 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से कानून हटने के बाद यह 13 जिलों में फैले 57 पुलिस थानों के दायरे में रह गया है।

अरूणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले, अरूणाचल प्रदेश की असम से लगने वाली 20 किमी. की पट्टी और 9 अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अफस्पा (AFSPA) लागू था जो धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों में और 1 अन्य जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है।

मणिपुर में अधिनियम के तहत 82 पुलिस स्टेशनों के तहत क्षेत्र अभी भी अधिसूचित हैं, भले ही 15 पुलिस थाना क्षेत्रों को 1 अप्रैल से अधिसूचना से बाहर रखा गया था। श्री मोदी ने, पिछले हफ्ते असम के दीफू में एक शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए दशकों से उग्रवाद देखने वाले इन क्षेत्रों में अफस्पा (AFSPA) को हटाने के कारणों के रूप में बेहतर प्रशासन और शांति की वापसी का हवाला दिया।

2015 में त्रिपुरा में और 2018 में मेघालय में अफस्पा (AFSPA) को निरस्त कर दिया गया था। यह अप्रत्याशित नहीं है कि अन्य राज्यों को भी किसी समय इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। अफस्पा को किसी क्षेत्र से हटाने की शर्त में सशस्त्र समूहों द्वारा हिंसा में कमी, सुरक्षा की स्थिति में सुधार और विकास गतिविधि में वृद्धि को शामिल करना उचित है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी मान्यता है कि यह कानून सशस्त्र बलों को दण्ड से मुक्ति प्रदान करता है और इसकी वजह से कई अत्याचार भी हुए हैं। उदहारण के तौर पर, चार महीने पहले नागालैंड के मोन जिले में एक असफल सैन्य अभियान में 15 नागरिक मारे गए थे।

इसलिए, अधिनियम के तहत क्षेत्रों में क्रमिक कमी के साथ-साथ, पिछले पीड़ितों के लिए भी न्याय प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। राजनीतिक पक्ष पर, यह वास्तव में सच है कि शांति समझौते, युद्धविराम और उप-क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण के रूप में काफी प्रयास किए गए हैं। पूरे क्षेत्र से अफस्पा (AFSPA) को हटाना इस प्रक्रिया में एक अपरिहार्य कदम होगा। लेकिन सुरक्षा की स्थिति के बावजूद, अफस्पा (AFSPA) को सशस्त्र बलों को इस तरह की छूट की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

क्या है अफस्पा (AFSPA)?

- आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी अफस्पा (AFSPA) एक कानून है जो आर्म्ड फोर्सेज को 'अशांत क्षेत्रों' में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की पावर देता है। उनके पास यह अधिकार होता है कि वे एक क्षेत्र में पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं।
- यदि आर्म्ड फोर्सेज को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं।
- किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में सेना बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है और बिना वारंट के परिसर में तलाशी भी ले सकती है।
- गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी के कारणों की व्याख्या की जा सकती है।

कौन लगा सकता है यह कानून?

- अशांत क्षेत्र की व्याख्या अफस्पा (AFSPA) के सेक्शन 3 में की गई है। कोई भी जगह या क्षेत्र विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत हो सकता है।
- केन्द्र सरकार या राज्य के गवर्नर उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। सेक्शन 3 के अनुसार यह कानून उन स्थानों पर लगाया जा सकता है जहाँ सुरक्षा के लिए आर्मड फोर्सेज की आवश्यकता होगी। यह कानून अक्सर जरूरतों के हिसाब से गृह मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है।

अफस्पा (AFSPA) की उत्पत्ति कब हुई?

- दशकों पहले पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा को राज्य सरकार नियंत्रित करने में नाकामयाब रही तो यह एक्ट लागू हुआ।
- आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 11 सितंबर, 1958 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था। इस एक्ट को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) 1958 के रूप में जाना जाने लगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं?

- जनवरी, 2020 का बोडो समझौता जिसने असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान किया है।
- 04 सितंबर, 2021 का करबी-आंगलांग समझौता जिसने लंबे समय से चल रहे असम के करबी क्षेत्र के विवाद को हल किया है।
- त्रिपुरा में उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अगस्त 2019 में NLFT (SD) समझौता किया गया।
- 16 जनवरी, 2020 को 23 साल पुराने ब्रु-रिआंग शरणार्थी संकट को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अधीन 37000 आंतरिक विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है।
- 29 मार्च, 2022 को असम और मेघालय राज्य की सीमा के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. अफस्पा (AFSPA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसे 11 सितंबर, 1958 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था।
2. अशांत क्षेत्र की व्याख्या अफस्पा (AFSPA) के सेक्शन 3 में की गई है।
3. यह कानून गृह मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) 1 और 2

(ख) 2 और 3

(ग) 1 और 3

(घ) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of AFSPA-

1. It was assented to by the President on September 11, 1958.
2. Disturbed area is defined in Section 3 of AFSPA.
3. This law is imposed by the Ministry of Home Affairs.

Which of the above statements is /are correct?

(a) 1 and 2

(b) 2 and 3

(c) 1 and 3

(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अफस्पा (AFSPA) कानून क्या है? अफस्पा के फायदे और नुकसान पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि सरकार द्वारा अफस्पा कानून को संपूर्ण रूप से हटाए जाने का निर्णय कितना प्रासंगिक है? (250 शब्द)

Q. What is AFSPA Act? While throwing light on the advantages and disadvantages of AFSPA, discuss how relevant is the decision of the government to completely remove the AFSPA law? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।